न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 48 / 2019

प्रार्थीगण

1. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी मकावल तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

विपक्षीगण

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम) रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग खण्ड सिरोही तहसील व जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन अधिनियम 2013

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:: *निर्णय* ::

दिनांक : 28.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील धारा 64 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खसरा संख्या 30, 31 की एम आई टैंक के निर्माण हेतु ली जा रही भूमि का मुआवजा दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलांट के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट की गांव मकावल पटवार हल्का मकावल तहसील रेवदर में खसरा संख्या 30 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 32 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा आई हुई है। यह है कि उपरोक्त भूमि सिंचित कृषि भूमि है एवं उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या दो के द्वारा खसरा संख्या 30 की 01 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि एवं खसरा संख्या 31 की 10 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि को एम आई टैंक के डुब/निर्माण हेतु अवाप्त किया है एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा कुल मुआवजा रूपए 14,95,296 निर्धारित किया गया है, जो बहुत कम है। यह है कि अपीलांट की अवाप्त की गई भूमि एवं कब्जे ली गई भूमि बारानी थर्ड नहीं होकर सिंचित भूमि है, जिससे उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि की दर से दिया जाना न्यायसंगत है। यह है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक के कार्यालय में उक्त भूमि के सिंचित [illegible] गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत की है एवं उक्त कृषि भूमि अपीलांट के कुएं से [illegible] ती है, जिस पर लगातार सिंचित खेती की जा रही है। यह [illegible] र उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेज के आधार पर अपी[illegible] भूमि होना पूर्णतया [illegible] है लेकिन उक्त तथ्यों को गौर [illegible] राजस्व रेकर्ड में वर्णित किस्म के [illegible] पर अपीलांट को उक्त प्रश्नगत भूमि का मुआवजा असिं[illegible] भूमि मानकर निर्धारित कि[illegible] है, जो गलत है। यह है कि अपीलांट एक काश्तकार है और खेती कर अपनी आजीविका कमाता है एवं अपीलांट के पास खेती के अलावा अन्य कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है एवं अपीलांट की उक्त खेती की सिचिंत भूमि अवाप्त होने से अपीलांट भविष्य में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:17:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवाप्त की गई भूमि से आय अर्जित करने से वचिंत हुआ है, जिससे अपीलांट को भारी क्षति हुई है। यह है कि अपीलांट को कोई नोटिस दिए बिना ही भूमि का अर्जन करना गलत है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा अपीलांट से रूपए 3,17,543/– की मांग सर्वथा गलत की जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड राशि अपीलांट को अदा की है, वह बहुत कम है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अपीलांट की भूमि का सिंचित भूमि होना मानकर संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया है कि अपीलांट की खसरा संख्या 30 की 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि एवं खसरा संख्या 31 की 10 बीघा 11 बिस्वा एम आई टैंक के डुब क्षेत्र/निर्माण हेतु अवाप्त की गई है एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा खसरा संख्या 30 का 1,33,612/– एवं खसरा संख्या 31 का 10,44,141/– रूपए जारी कर दिया गया है। यह है कि अपीलांट की भूमि राजस्व रेकर्ड में ब. 2 दर्ज थी एवं राजस्व रेकर्ड के आधार पर नियमानुसार मुआवजा राशि अपीलांट को जारी की गई है। यह है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की घोषणा को कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी के पत्र क्रमांक/राजस्व/भूमि–अवाप्ति/2016/701 दिनांक 30.12.2016 को तहसीलदार रेवदर को चस्पादगी हेतु भेजा गया था, जिसकी चस्पादगी रिपोर्ट संलग्न है। यह है कि अपीलांट को भूमि अवाप्ति की पूर्ण जानकारी थी एवं अपीलांट ने उक्त अधिनियम की धारा 11 के सम्बन्ध में दिनांक 31.08.2015 को कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी रेवदर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि अपीलांट की ग्राम मकावल पटवार हल्का मकावल तहसील रेवदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 30 की 1.35 बीघा एवं खसरा 31 की 10.55 बीघा भूमि को अवाप्त किया गया था, जिसकी मुआवजा राशि अपीलांट को 11,21,472/– रूपए मई 2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या दो कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सिरोही के द्वारा एवं राशि 3,73,824/– रूपए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर के मार्फत अपीलांट को जारी की गई, जिसकी पुष्टि भी अपीलांट अधिवक्ता के द्वारा की गई है। यह है कि पटवारी रिपोर्ट मय सजरा नक्शा व भूमि अवाप्ति अधिकारी रेवदर द्वारा जारी अवार्ड स्टेटमेन्ट अनुसार उक्त अवाप्त भूमि की किस्म ब–2/ब–3 है, जो कि असिंचित भूमि की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा सिंचित भूमि होने का कथन निराधार/तथ्य विहिन एवं मनगढंत किया गया है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज किया जावे ।

मैने अपीलांट अधिवक्ता की सुनी गई बहस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अपीलांट की मौजा मकावल पटवार हल्का मकावल तहसील रेवदर जिला सिरोही में खसरा संख्या 30 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 32 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा भूमि आई हुई है। यह है कि अपीलांट के उक्त प्रश्नगत भूमि के खसरा संख्या 30 की 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि एवं खसरा संख्या 31 की [illegible] 11 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या एक भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा एम आई टैंक के निर्माण/डूब क्षेत्र हेतु अवाप्त किया गया [illegible] साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि भूमि [illegible] अधिकारी रेवदर द्वारा अपीलांट की अवाप्त की गई भूमि के एवज में अवार्ड राशि ख[illegible] संख्या 30 का 1,33,612/–रूपए एवं खसरा संख्या 31 का 10,44,141/– रूपए जारी कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कुल मुआवजा राशि रूपए 11,77,753 निर्धारित

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:17:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की गई थी, परन्तु अपीलांट को उक्त मुआवजा राशि से रूपए 3,17,543/– अधिक भुगतान होने से अपीलांट को कुल 14,95,296/– रूपए की मुआवजा राशि का भुगतान रेस्पोडेन्टगण के द्वारा किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिक भुगतान की गई मुआवजा राशि से रूपए 3,17,543/– को वापस लौटाने के सम्बन्ध में अपीलांट को लिखा गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा जारी की गई मुआवजा राशि अपीलांट की उक्त प्रश्नगत भूमि को असिंचित भूमि मानकर जारी किया है, जबकि अपीलांट की उक्त प्रश्नगत भूमि सिंचित भूमि है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी रिपोर्ट में भी उक्त प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी–2 दर्ज है एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा भी अपीलांट को उक्त प्रश्नगत भूमि का मुआवजा किस्म बारानी–2 मानकर ही जारी किया गया है। यह है कि उक्त प्रश्नगत भूमि की अवार्ड राशि किस्म बारानी–2 के आधार दिया जाना अपीलांट अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया है एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा तहसीलदार रेवदर को उक्त अवाप्ति के सम्बन्ध में चस्पादगी हेतु भेजा गया था, जिसकी चस्पादगी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है एवं इसके पश्चात अपीलांट द्वारा धारा 11 के सम्बन्ध में दिनांक 31.08.2015 को कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी रेवदर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा जारी अवार्ड में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Bhanwar Lal

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:17:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner